मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002
www.esic.nic.in

संख्याः ए–49/13/4/2008–रा.भा. दिनांक : 27 दिसम्बर, 2012

परिपत्र

विषय : दिनांक 12.12.2012 को बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न क.रा.बी. निगम मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 141वीं बैठक का मसौदा कार्यवृत्त ।

बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 12.12.2012 को आयोजित क.रा.बी. निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के मसौदा कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती है ।

27.12.12

(डॉ. पन्ना प्रसाद)
संयुक्त निदेशक(रा.भा.)

सेवा में,

1 मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य ।
2 संयुक्त निदेशक (राजभाषा), श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली ।
3 उप निदेशक(कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, ए–149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली–110023
4 महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एक्स वाई 68, सरोजिनी नगर,नई दिल्ली–110023
5 सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/निदेशालय(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा ।
6 सभी चिकित्सा अधीक्षक — क.रा.बी. अस्पताल ।
7 मुख्यालय के सभी अधिकारी/शाखाएं ।
8 उप निदेशक(राजभाषा), केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066
9 संयुक्त निदेशक(जन सम्पर्क), मुख्यालय को प्रचारार्थ ।
10 गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियां ।
11 वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को वेबसाइट में डालने हेतु ।

E:\Amrit\Rajbhasha\Bhatt\Vibhagiya Rajbhasha Karyanvayan Samiti\Minutes\Forwarding Letter of OLIC Minutes.doc

वेबसाइट की विषय-सूची का प्रबन्धन............
Website Contents Management..............
डायरी सं./Diary No. 09
दिनांक/Date 07/01/013

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 141वीं बैठक का मसौदा कार्यवृत्त

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 141वीं बैठक श्री बी.के. साहू, बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 12.12.2012, बुधवार को अपराह्न 4.00 बजे मुख्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। इसमें निम्नांकित अधिकारी उपस्थित हुए:–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम श्री/श्रीमती	
1.	बी.के. साहू, बीमा आयुक्त	**अध्यक्ष**
2.	डॉ. अभिमन्यु पांडा, उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
3.	आमोद कुमार मिश्र, निदेशक (सतर्कता)	सदस्य
4.	सुनील तनेजा, संयुक्त निदेशक (स्था.–2)	सदस्य
5.	सुनील कुमार शाह, संयुक्त निदेशक (स्था.–3 एवं 4)	सदस्य
6.	टी.टी.एम. तराकन, संयुक्त निदेशक (स्था.–5 एवं 6)	सदस्य
7.	अनिल कुमार साहू, संयुक्त निदेशक (विधि एवं प्रबंध सेवा एकक)	सदस्य
8.	राजकंवल, संयुक्त निदेशक (सूचना का अधिकार)	सदस्य
9.	आर.एस. श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक (हितलाभ)	सदस्य
10.	रत्नेश कुमार गौतम, संयुक्त निदेशक (जन संपर्क)	सदस्य
11.	ए.पी. त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक	सदस्य
12.	रवि चंद्रन, संयुक्त निदेशक	सदस्य
13.	मुहम्मद इरफान, संयुक्त निदेशक	सदस्य
14.	आर. केशवदास, संयुक्त निदेशक (वित्त)	सदस्य
15.	के.जी. सुरेश, संयुक्त निदेशक (वित्त)	सदस्य
16.	दीपक मलिक, उप निदेशक (वित्त)	प्रतिनिधि
17.	अशोक कुमार वर्मा, उप निदेशक	प्रतिनिधि
18.	राम प्रसाद, उप निदेशक	प्रतिनिधि
19.	प्रीतम चन्द, उप निदेशक	प्रतिनिधि
20.	डॉ. पन्ना प्रसाद, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)	**सदस्य–सचिव**

पूर्वोक्त के अलावा श्री श्याम सुंदर कथूरिया, सहायक निदेशक(राजभाषा) एवं श्री सतीश कुमार, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक भी बैठक में सहायतार्थ उपस्थित थे।

सर्वप्रथम सदस्य–सचिव डॉ. पन्ना प्रसाद, संयुक्त निदेशक(रा.भा.) ने अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए दो महत्त्वपूर्ण बातें बताईं—(1) दिल्ली की उपक्रम वर्ग की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में से हमारे कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने 04 प्रोत्साहन पुरस्कार अर्जित किए हैं। (2) उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने दिनांक 10.12.2012 को मुख्यालय का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया है। बीमा आयुक्त के निदेश पर निरीक्षण अधिकारी द्वारा दिए गए सुझाव सभी के बीच रखे गए तथा इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। इसके अतिरिक्त बीमा आयुक्त ने निरीक्षण के संदर्भ में सभी सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से निम्न प्रकार आग्रह किया :–

1. सभी अधिकारी अपने कम्प्यूटरों पर यूनिकोड में हिंदी में कार्य करें।
2. स्थापना–1 से राजभाषा संवर्ग के अधिकारियों के उच्चतर पदों को भरने तथा स्थापना–3 से निगम के हिंदी अनुवादकों के संवर्ग के पुनर्गठन के लिए फरवरी, 2013 तक हर हाल में कार्रवाई करने के लिए कहा गया।
3. सभी अधिकारी जब क्षेत्र इकाइयों में जाएं तो राजभाषा विभाग द्वारा प्रदत्त निरीक्षण संबंधी प्रोफार्मा के माध्यम से राजभाषा की प्रगति का जायजा अवश्य लें।
4. निगम की हिंदी प्रतियोगिताओं की राशि की वृद्धि के साथ–साथ पुरस्कारों की संख्या में भी वृद्धि की जाए। टंककों/आशुलिपिकों के लिए प्रोत्साहन भत्ता बढ़ाने पर विचार करने हेतु सर्वश्री ए.पी. त्रिपाठी संयुक्त निदेशक, ए.के. साहू संयुक्त निदेशक तथा डॉ. पन्ना प्रसाद संयुक्त निदेशक(रा.भा.) सहित तीन सदस्यीय समिति गठित की गई।
5. सभी अधिकारी फाइलों पर हिंदी में टिप्पणियाँ लिखें।

तत्पश्चात सदस्य सचिव ने कहा कि यह बैठक दिसम्बर, 2012 तिमाही के लिए है। इसमें सितम्बर, 2012 तिमाही के आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर मदवार चर्चा हुई:–

मद संख्या 1	**पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई की समीक्षा।**

सदस्य–सचिव ने कहा कि पिछली बैठक का मसौदा कार्यवृत्त सभी सदस्यों एवं शाखाओं को परिचालित किया जा चुका है। किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं

हुआ है। यदि अनुमति हो तो कार्यवृत्त की पुष्टि की जाए। सदस्यों ने सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की।

पिछली बैठक में हुए निर्णयों पर चर्चा करते हुए सदस्य सचिव ने बताया कि इसमें दस निर्णय हुए थे और इनमें से नौ पर कार्रवाई हो चुकी है। केवल सामाजिक सुरक्षा विषय संबंधी पुस्तकें समिति द्वारा अभी नहीं खरीदी गई हैं क्योंकि इस विषय पर पुस्तकें सुलभ नहीं है। इस पर बीमा आयुक्त ने सुझाव दिया कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की श्रीमती मधु से बात करके पुस्तकें प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त बीमा आयुक्त ने अंग्रेजी आशुलिपिक संवर्ग की कार्यशाला के संबंध में निदेश दिया कि 'क' क्षेत्र के लिए यह कार्यशाला दिल्ली में आयोजित की जाए।

मद संख्या 2	**हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।**

सदस्य–सचिव ने शाखाओं द्वारा भेजी गई तिमाही रिपोर्टो के आंकड़ों की तालिका पर चर्चा करते हुए कहा कि सितम्बर तिमाही के दौरान कुल 11807 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए थे। नियमानुसार किसी भी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया गया। मुख्यालय द्वारा 'क' क्षेत्र के साथ 76%, 'ख' क्षेत्र के साथ 66% तथा 'ग' क्षेत्र के साथ 75% मूल पत्राचार हिंदी में किया गया। तिमाही के दौरान फाइलों में कुल 23300 टिप्पणियों में से 61% टिप्पणियां हिंदी में लिखी गई। सदस्य–सचिव ने हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता बढ़ाए जाने पर बल दिया।

सदस्य–सचिव ने सभी सदस्यों से निवेदन किया कि शाखाओं के निरीक्षण से ज्ञात होता है कि राजभाषा शाखा में तिमाही रिपोर्टें तो भेजी जाती हैं, परन्तु इन्हें सावधानीपूर्वक तैयार नहीं किया जाता है। उन्होंने इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

बीमा आयुक्त ने आंकड़ों का अवलोकन करते हुए पाया कि हितलाभ शाखा तथा लेखा–6 व लेखा–7 में हिंदी पत्राचार की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने इन तीनों शाखाओं के निरीक्षण करने के निदेश दिए।

मद संख्या 3	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन।

सदस्य–सचिव ने समिति को सूचित किया कि कुछ शाखाएं तिमाही रिपोर्ट के धारा 3(3) से संबंधित कॉलम में सामान्य पत्रों की संख्या को भी जोड़ देती हैं। इससे धारा 3(3) की मद में अनावश्यक वृद्धि हो जाती है। इनमें केवल सामान्य आदेश, परिपत्र, ज्ञापन, अधिसूचना आदि 14 प्रकार की मदें आती हैं। इन्हें केवल अंग्रेजी में जारी नहीं किया जा सकता।

मद संख्या 4	वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में चर्चा।

सदस्य–सचिव ने सभी सदस्यों को सूचित किया कि वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियाँ बहुत पहले सभी को दी जा चुकी हैं। इसमें राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने सरकारी कार्यालयों के लिए जो राजभाषा संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए।

मद संख्या 5	जाँच बिन्दुओं पर कार्रवाई।

सदस्य सचिव ने कहा कि निगम मुख्यालय ने राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए जांच बिन्दुओं को अपनी सूची में रखा है। यदि प्रत्येक अधिकारी द्वारा जांच बिन्दु स्तर पर सतर्कतापूर्वक नज़र रखी जाए तो कार्यालय में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सहज हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने इन पर कड़ी निगरानी रखने के निदेश दिए।

मद संख्या 6	क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में हिंदी के प्रयोग की स्थिति।

सदस्य–सचिव ने सूचित किया कि क्षेत्रीय इकाइयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर पूरी नज़र रखी जाती है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर निरीक्षण भी किए जाते हैं। आलोच्य तिमाही में 5 निरीक्षण किए गए। समिति को बताया गया कि कार्यालयों में राजभाषा नीति के

कार्यान्वयन की दृष्टि से 'क' क्षेत्र में दिल्ली, 'ख' क्षेत्र में पुणे और 'ग' क्षेत्र में हुबली को अपने क्षेत्र के कार्यालयों में सर्वश्रेष्ठ पाया गया। इन्हें मुख्यालय के प्रधान अधिकारियों द्वारा शील्ड प्रदान की जाएगी।

मद संख्या 7	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।**

- श्री एस.के. शाह, संयुक्त निदेशक ने आग्रह किया कि मुख्यालय के अधिकारियों के लिए एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने इस पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए कार्रवाई के निदेश दिए।
- श्री ए.पी. त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक का सुझाव था कि यदि सामाजिक सुरक्षा विषय पर पुस्तकें कम उपलब्ध हैं तो हमें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को पत्र लिखना चाहिए कि विशाल हिंदी भाषी जनसंख्या के लिए ऐसी पुस्तकों का अनुवाद उपलब्ध कराया जाए।
- इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिंखित निदेश दिए :–
  1. मुख्यालय द्वारा प्रकाशित छमाही पत्रिका 'पंचदीप भारती' का आगामी अंक सूचना प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखकर निकाला जाए। इससे संबंधित लेखों को इसमें शामिल किया जाए।
  2. भारत से बाहर आयोजित होने वाले राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियों में निगम अधिकारियों की सहभागिता की संभावनाएँ तलाशी जाएँ।
  3. उन्होंने सभी अधिकारियों से बोलचाल की हिंदी प्रयोग करने का सुझाव दिया।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक का समापन हुआ।

27/12/12

(डॉ. पन्ना प्रसाद)
सदस्य–सचिव

C:\Amrit\Amrit - 415\Rajbhasha\Satish\Vibhagiya Rajbhasha Karyanvayan Samiti\Minutes\141th meeting of OLIC.doc